

प्रेषक,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

पत्रांक/6.0.3.....

सेवा में,

श्री जितेंद्र कुमार, प्रभारी प्रधानाध्यापक,
उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय निज्मा,
प्रखंड महुआ, जिला वैशाली।

दिनांक ...27./..07./2026

विषय:- स्पर्धीकरण के संबंध में।

प्रसंग:- श्री राहुल कुमार गुप्ता विद्यालय अध्यापक का प्राप्त परिवाद।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में अंकित करना है कि श्री राहुल कुमार गुप्ता विद्यालय अध्यापक द्वारा एक परिवाद समर्पित किया गया है। परिवाद में अंकित किया गया है कि दिनांक 21.07.2026 को समय लगभग एक बजे दिन में वे विद्यालय प्रांगण में एक कक्षा में पीबीएल का कार्य संपादित करने हेतु किसी अन्य शिक्षक से सहयोग ले रहे थे। इसी बीच आपके द्वारा वहां आकर उनके साथ गाली गलौज की गई तथा बहस करते हुए उनका गला दबाया गया। परिवाद में यह भी अंकित है कि आपके द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है।

एक प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में अपने ही विद्यालय के शिक्षक के साथ गाली गलौज मारपीट करना तथा जान से मारने की धमकी देना अत्यंत खेदजनक तथा घोर अनुशासनहीनता का परिचायक है। आपका यह कृत्य पदीय दायित्वों के सर्वथा विपरीत एवं शिक्षा विभाग की छवि को धूमिल करने वाला है। अतः इस घोर अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के आरोप में आपका वेतन भुगतान तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है।

अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के चौबीस घंटे के अंदर परिवाद में लगाए गए आरोपों के संबंध में अपना सुस्पष्ट स्पर्धीकरण साक्ष्यों सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाए। ससमय संतोषजनक स्पर्धीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक यथोक्त।

ज्ञापांक/6.0.3..... / हाजीपुर, दिनांक 27./..07./2026

प्रतिलिपि: प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, महुआ / श्री राहुल कुमार गुप्ता विद्यालय अध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27.7.26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
21/7/26

27.7.26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
21/7/26